कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

*** दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले आरोपी लालटलनकुंगा निवासी कोलासिब मिजोरम की प्रथम जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश से खारिज***

<u>प्रेस विज्ञप्ती (**05/25, दिनांक 22.01.2026)**</u>

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई, जबलपुर को वनमंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा से हस्तांतरित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2271/55 दिनांक 30.04.2015 जो कि वन्यप्राणी पेंगोलिन अनुसूची-I के अवैध शिकार एवं उनके अवयवों का अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवैध व्यापार से संबंधित है। प्रकरण में अब तक कुल 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आरोपी लालटलनकुंगा पिता व्ही.एल. वुआना निवासी वैंगलई बाजार, कोलासिब मिजोरम प्रकरण में लगभग 11 वर्ष से फरार था। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु माननीय सी.जे.एम. न्यायालय जबलपुर द्वारा अब तक 03 गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये थे जिसके परिपालन में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई, जबलपुर के वन अमले द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर वैंगलई बाजार, कोलासिब मिजोरम से दिनांक 12.12.2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लालटलनकुंगा देश के वन्यप्राणी तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध मध्यप्रदेश में 03 प्रकरण एवं ओडिशा में 01 प्रकरण दर्ज है, जो वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों के अवैघ व्यापार से संबंधित है।

प्रकरण में शामिल आरोपी लालटलनकुंगा द्वारा माननीय जिला सत्र न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश में प्रथम जमानत याचिका BA-136/2026 दायर की जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व आरोपी की वन अपराध के अन्य मामले में जमानत का लाभ प्राप्त होने के बावजूद उसका दुरूपयोग करते हुये तीन वर्ष से फरार होना, दुर्लभ वन्यप्राणियों के तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति के आधार पर बीएनएसएस की धारा 483 के तहत खारिज की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल